प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र / ....

	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
25.	वकलाए उप: / बहस उभयपक्ष सुनी गई / पत्रावली वास्ते आदेश दि. 7/1/26 को पेश हो।	
7/1/26	वकलाए उप. । अन्य कार्य मे व्यस्त रहने से निर्णय नही लिखाया जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 22/1/26 को पेश हो।	
22/1/26	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। बाद दावा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है वादिनी को 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बूंदी

(पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनस्वी नरेश आर.ए.एस.)

न नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
)/दावा/2005	06.09.2005	22.01.2026

श्रीमति पांची बाई आयु 65 वर्ष पत्नि श्री बजरंग लाल पुत्री श्री जगन्नाथ जाति मीणा निवासी ग्राम तीरथ तहसील एवं जिला बून्दी हाल निवासी तेजाजी का मन्दिर बालापुरा कुन्हाडी कोटा राज0

1/1. रामकरण पुत्र बजरंगलाल

1/2. श्रीमती गोपी पत्नि श्री मदनलाल जाति मीणा निवासी तेजाजी का मन्दिर बालापुरा कुन्हाडी कोटा राज0

1/3. रिंकू

1/4. अजय पि0 श्री मदनलाल जाति मीणा निवासी तेजाजी मन्दिर बालापुरा कुन्हाडी कोटा राज0

वादीगण

बनाम

1. खाना आयु 63 वर्ष आ0 श्री रघुनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम तीरथ तहसील एवं जिला बून्दी राज0
   1/1. पुष्पा बाई विधवा खाना जाति मीणा निवासी ग्राम तीरथ तहसील एवं जिला बून्दी राज0
   1/2. महादेवा
   1/3. महावीर
   1/4. प्रकाश
   1/5. धनपाल आ0 खाना जाति मीणा निवासी ग्राम तीरथ तहसील एवं जिला बून्दी राज0
2. नाथू आयु 60 वर्ष आ0 गोपीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम तीरथ तहसील एवं जिला बून्दी राज0
3. खानी बाई आयु 75 वर्ष पुत्री श्री जगन्नाथ पत्नि श्री कजोड जाति मीणा निवासी ग्राम भोलू मीणा की झोपडिया तह0 हिण्डोली जिला बून्दी
   3/1. कजोड आ0 मीणा निवासी ग्राम भोलू मीणा की झोपडिया तह0 हिण्डोली जिला बून्दी
   3/2. रंगलाल
   3/3. हरबू
   3/4. रामकरण
   3/5. गोपाल
   3/6. बाबू मीणा पि0 कजोड निवासी ग्राम भोलू मीणा की झोपडिया तह0 हिण्डोली जिला बून्दी
4. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार साहब बून्दी राज0

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता वादीगण :- श्री राजकुमार गौतम
अधिवक्ता प्रतिवादीगणः- श्री कैलाशचन्द रामधराणी

– : : निर्णय : : –

वाद अन्तर्गत धारा 188,88,89 एवं 53 आर.टी. एक्ट

वादीगण द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188,88,89 एवं 53 आर.टी. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया। वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम तीरथ तहसील व जिला बून्दी राज0 में जमाबंदी सम्वत् 2028 से 2047 की खतोनी संख्या 231/235 में नाथूलाल वल्द गोपीलाल, जगन्नाथ, रुगनाथ पिसरान चन्दा जाति मीणा साकिन देह खातेदार कृषि भूमि खंसरा सं0 36 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा, 172 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, 203 रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा, 271 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, 272 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, 273 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा, 285 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा, 320 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा, 71 रकबा 2 बीघा, 851 रकबा 3 बिस्वा, 932 रकबा 16 बिस्वा, 933 रकबा 12 बिस्वा, 948 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, 949 रकबा 7 बिस्वा एवं 1001 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा किता 15 कुल रकबा 86 बीघा 7 बिस्वा दर्ज है। सहखातेदार जगन्नाथ एवं रुगनाथ का देहान्त हो गया है। रुगनाथ का उत्तराधिकारी प्रतिवादी खाना है। जगन्नाथ के कोई पुत्र संतान नही थी इस कारण उनकी पुत्रियां वादी पांचीबाई एवं प्रतिवादी खानीबाई जीवित है वे ही उनकी उत्तराधिकारी है। इस प्रकार वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि के 1/3 हिस्से के वैधानिक सहखातेदार प्रतिवादी नाथूलाल, 1/3 हिस्से के वैधानिक

खातेदार प्रतिवादी खाना एवं 1/3 हिस्से के वैधानिक सहखातेदार वादी पांचीबाई एवं प्रतिवादी खानीबाई संयुक्त रूप से है। वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि में से कुछ भूमि पर भूमि विकास कार्य केंचमेंट हो जाने के कारण नया खसरा नं0 1734 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, 1749 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा, 1947 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा, 1959 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, 1995 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा, 2061 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 2063 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा एवं 2064 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा बन गए है। पक्षकारान् अपने-अपने हिस्से में मुताबिक सम्पूर्ण वाद विषयक कृषि भूमि पर संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है किन्तु माह जून 2005 में वादीगणों ने राजस्व रेकार्ड की जानकारी ली तो सम्पूर्ण वाद विषयक कृषि भूमि निम्न प्रकार दर्ज हो रही है।

1. खातेदार खाना आ0 रुगनाथ मीणा साकिन देह जमाबंदी सम्वत् 2060 से 2063 खतोनी सं0 45 खसरा सं0 713, 851, 932, 1947/1, 1967, 2064 कुल किता 6 कुल रकबा 37 बीघा 9 बिस्वा
2. खातेदार नाथूलाल वल्द गोपीलाल, खानी, गुलाब, पांची, दुख्तर, जगन्नाथ, खाना वल्द रुगनाथ, मुस0 देव बेवा रुगनाथ कौम मीणा साकिन देह खातेदार जमाबंदी संवत् 2056 से 2059 की खतोनी सं0 207 सह खातेदार गुलाब एवं मुस0 देव का देहान्त हो गया है खसरा सं0 1734 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा एवं 1749 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा कुल 10 बीघा 8 बिस्वा ग्राम तीरथ
3. खातेदार नाथू वल्द गोपीलाल कौम मीणा साकिन देह खातेदार जमाबंदी सम्वत् 2060 से 2063 की खतोनी सं0 191 खसरा सं0 933, 948, 949, 1001, 1947, 1959, 1995, 2061 एवं 2063 कुल किता 9 कुल रकबा 33 बीघा 18 बिस्वा

उक्त सचरण क्रम 1,2,3 में वर्णित प्रविष्टियां वादिनी की जानकारी के बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय के बिना अवैध रूप से की गई है जो वादिनी के विरूद्ध शून्य प्रभावी है। वादिनी को अधिकार प्राप्त है कि वह सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में स्वंय का 1/6 हिस्सा अर्थात वादिनी एवं प्रतिवादिनी खानी बाई का 1/3 हिस्सा घोषित करवाकर राजस्व रेकार्ड में खातेदार के स्थान पर अपने नाम अंकित करवाये तथा हिस्सानुसार बंटवारा करवाकर बंटवारे में प्राप्त होने वाली भूमि पर स्वतंत्र रूप से खाता एवं कब्जा प्राप्त करे। वादिनी की ओर से दिनांक 24.06.2005 को रा0 राज्य को नोटिस दिया गया जिसकी अवधि गुजरने पर भी कोई आदेश नही हुआ। वाद कारण नोटिस की अवधि गुजरने पर दिनांक 26.08.2005 को न्यायालय के न्याय क्षेत्र में उत्पन्न हुआ इसी दिन प्रतिवादीगण ने बंटवारा कराने से इन्कार कर दिया एवं वादिनी को बेदखल करने व कृषि भूमि खुर्द बुर्द करने की धमकी दी। वादिनी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेद्याज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है अन्यथा उसे भारी अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना है कि विधिवत डिक्री द्वारा सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि में वादिनी को 1/6 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाकर खातेदार के स्थान पर अंकित किया जावे। वादिनी के हिस्से का बंटवारा किया जाकर स्वतंत्र खाता एवं कब्जा प्रदान किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेद्याज्ञा से पांबद किया जावे कि वे वादग्रस्त भूमि से वादिनी को बेदखल नही करे तथा भूमि को किसी प्रकार हस्तातंरित व भारग्रस्त नही करे।

वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया ।

प्रतिवादी सं. 1 खाना , प्रतिवादी सं. 2 नाथू व प्रतिवादी सं. 3 खानी ने वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र में वर्णित भूमि के गत सेटलमेन्ट के बाद जारी जमाबन्दी में वाद वर्णित भूमियों के खातेदार नाथूलाल आ. गोपीलाल, जगन्नाथ व रुगनाथ पिसरान चन्दा दर्ज होना स्वीकार है। सभी खातेदारान् एक ही मूल पुरुष चन्दा के वारिस है। जगन्नाथ व रुगनाथ का देहान्त हो जाना, रुगनाथ का उत्तराधिकारी प्रतिवादी खाना का होना स्वीकार है। शेष चरण जिस प्रकार लिखा गया है स्वीकार नही है। वादिनी व प्रतिवादीगण जाति से मीणा है, जो कि अनुसूचित जन जाति वर्ग में आते है, अनुसूचित जन जाति वर्ग पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू नही होता है एवं श्री जगन्नाथ की मृत्यु के समय वादिनी पांचीबाई व प्रतिवादिनी क्रम 3 श्रीमति खानीबाई शादी शुदा थी एवं अपने ससुराल में रहती थी। पुराने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम व वादी व प्रतिवादीगण के समाज के प्रचलित रिति रिवाज के अनुसार पिता की सम्पति में पुत्रियो का कोई हक नहीं होता है। चूकि श्री जगन्नाथ के अपनी मृत्यु के समय (यानि आज से करीब 28 वर्ष पूर्व) कोई पुरुष सन्तान नही थी, एवं उनकी पत्नि की भी श्री जगन्नाथ जी की मृत्यु के पूर्व ही मृत्यु हो चुकी थी वादी व प्रतिवादीगण में प्रचलित व प्रभावी कानून के अनुसार उक्त जगन्नाथ के स्थान पर प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को राजस्व रिकार्ड में उत्तराधिकारी दर्ज करना चाहिये था। किन्तु तत्कालीन राजस्व अधिकारियो ने बिना वादी व

वादीगण को सुने ही श्री जगन्नाथ के स्थान पर वादिनी व प्रतिवादिनी क्रम 3 को जगन्नाथ के स्थान पर खातेदार दर्ज करने के आदेश प्रदान कर दिये इस पर वादिनी व प्रतिवादीगण सभी ने तत्कालीन अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी को उक्त सम्बन्ध मे शिकायत की। साथ ही वादिनी व प्रतिवादिनी क्रम 3 को यदि कोई हक अधिकार किसी प्रकार प्राप्त भी होता हो तो प्रतिवादी क्रम 1 खाना के पक्ष में परित्याग करने का लिखकर दिया था। श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर साहब द्वारा ही तब राजस्व रिकार्ड में श्री जगन्नाथ के स्थान पर प्रतिवादी खाना को खातेदार अंकित करने का आदेश दिनांक 14.12.78 को दिया था। जिसके अनुसार इन्तकाल सं0 234 दिनांक 14.12.78 से उक्त जगन्नाथ के स्थान पर प्रतिवादी खाना को खातेदार दर्ज किया गया था। इस प्रकार वादिनी व प्रतिवादी क्रम 3 का उक्त भूमि में कोई हक व अधिकार नही है। विकल्प में उपरोक्त को प्रभावित किये बिना यदि वादिनी व प्रतिवादिनी क्रम 3 का विवादित भूमि में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार माना भी जाता है तो सन् 1978 से वादी व प्रतिवादी क्रम 3 की जानकारी में खुल्लम खुला तौर पर बहेसियत स्वामी विवादित भूमियों पर प्रतिवादी सं0 1 व 2 का कब्जा काश्त चले आने के कारण प्रतिवादी 1 लगायत 2 उक्त भूमियों के विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वामी बन चुके है एवं पिछले 12 वर्षो में वादिनी का उक्त भूमियों पर कभी भी कब्जा काश्त नही होने के कारण उनका कब्जा प्राप्ति का अधिकार भी अवधि बाधित हो कर समाप्त हो गया है। विवादित भूमियों में अब वादिनी व प्रतिवादी सं0 3 का कोई हक व अधिकार नही है।

दावा एवं जवाब दावा के आधार पर प्रकरण में दिनांक 9.08.2007 को निम्न विवाद्यक कायम किये गये-

1. आया वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित विवादित कृषि भूमि की वादिनी 1/6 हिस्से की खातेदारी घोषणा करने की अधिकारी है। वादी
2. आया वाद पत्र की चरण सं0 4 में अंकित प्रविष्टियॉ वादिनी की जानकारी के बिना एवं किसी भी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना की गई है जो वादिनी के विरुद्व शुन्य प्रभावी है। वादी
3. आया वादिनी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में शामिल नही होने से विवादित भूमि में उनका कोई हक व अधिकार नही है। प्रतिवादीगण
4. आया नामान्तकरण सं0 234 दिनांक 14.12.1978 जिस निर्णय के अनुसार खातेदार दर्ज हुआ है का वाद पर क्या असर है। प्रतिवादीगण
5. आया प्रतिवादी 1 व 2 सन् 1978 से विवादित कृषि भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त चले आने से कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार बन चुके है। प्रतिवादी
6. अनुतोष

वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि सह खातेदार जगन्नाथ एवं रुघनाथ का देहान्त हो गया है। रुघनाथ का उत्तराधिकारी प्रतिवादी खाना है। जगन्नाथ के कोई पुत्र संतान नही थी इस कारण उनकी पुत्रियां वादी पांचीबाई एवं प्रतिवादी खानीबाई, जो जीवित है वे ही उनकी उत्तराधिकारी है। इस प्रकार वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि के 1/3 हिस्से के वैधानिक सहखातेदार प्रतिवादी नाथूलाल, 1/3 हिस्से के वैधानिक सहखातेदार प्रतिवादी खाना एवं 1/3 हिस्से के वैधानिक सहखातेदार वादी पांचीबाई एवं प्रतिवादी खानीबाई संयुक्त रूप से है। वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि में से कुछ भूमि पर भूमि विकास कार्य केंचमेंट हो जाने के कारण नया खसरा नं0 1734 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, 1749 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा, 1947 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा, 1959 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, 1995 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा, 2061 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, एवं 2063 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा 2064 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा बन गए है। पक्षकारान अपने अपने हिस्से में मुताबिक सम्पूर्ण वाद विषयक कृषि भूमि पर संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है। राजस्व रेकार्ड में वर्णित प्रविष्टियॉ वादिनी की जानकारी के बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय के बिना अवैध रूप से की गई है जो वादिनी के विरुद्ध शून्य प्रभावी है। वादिनी को अधिकार प्राप्त है कि वह सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में स्वयं का 1/6 हिस्सा अर्थात वादिनी एवं प्रतिवादिनी खानी बाई का 1/3 हिस्सा घोषित करवाकर राजस्व रेकार्ड में खातेदार के स्थान पर अपने नाम अंकित करवाये

हिस्सेनुसार बंटवारा करवाकर बंटवारे में प्राप्त होने वाली भूमि पर स्वतंत्र रूप से खाता एवं कब्जा करे। वादिनी की ओर से दिनांक 24.06.2005 को रा0 राज्य को नोटिस दिया गया जिसकी अवधि जरने पर भी कोई आदेश नही हुआ। वाद कारण नोटिस की अवधि गुजरने पर दिनांक 26.08.2005 को न्यायालय के न्याय क्षेत्र में उत्पन्न हुआ इसी दिन प्रतिवादीगण ने बंटवारा कराने से इन्कार कर दिया एवं वादिनी को बेदखल करने व कृषि भूमि खुर्द बुर्द करने की धमकी दी। वादिनी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है अन्यथा उसे भारी अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना है कि विधिवत डिक्री द्वारा सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि में वादिनी को 1/6 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाकर खातेदार के स्थान पर अंकित किया जावे। वादिनी के हिस्से का बंटवारा किया जाकर स्वतंत्र खाता एवं कब्जा प्रदान की जावे। प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वह मेरे हिस्से व कब्जे में दखल उत्पन्न नही करे। वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी संवत् 2060-63 प्रदर्श-1, जमाबन्दी सं0 2056-59 प्रदर्श-2, जमाबन्दी खातेदार खाना सं0 2060-63 प्रदर्श-3, जमाबन्दी सं. 2028-47 प्रदर्श-4, नकल नोटिस प्रदर्श -5, रसीद नोटिस डाकखाना प्रदश -6, प्राप्ति रसीद प्रदर्श-7 अंकित करवाये गये। दोराने जिरह बताया कि मेरी शादी मेरे पिता जी के मरने से पहले हो गयी थी मेरी बहिन की शादी भी मेरे पिता के मरने से पहले ही हो गयी थी हम दोनो बहिने अपने ससुराल में ही रहती है। मेरे पिताजी की मृत्यु 35-40 वर्ष पहले हो चुकी है। यह कहना गलत है कि मेरे बच्चो की शादी में माहिरा व मौसाला वगै0 प्रतिवादी खाना ने किया है। मुझे यह पता नही है कि विवादित जमीन पिछले 30 वर्षो से खाना व नाथू के ही खाते में चली आ रही हो। यह कहना गलत है कि मेने मेरे पिताजी के मरने के बाद विवादित जमीन पर कभी कोई खेती नही की है। मै जुवारा पर प्रतिवादी खाना को जमीन जुपवाती थी। जुवारा कितने रूप्ये बीधा का था मुझे पता नही है। मेरे पिता की मृत्यु के बाद हम बहिनो का नाम इन्तकाल खोल दिया हो यह कहना गलत है कि उस इन्तकाल की अपील नाथू, खाना द्वारा अति0 जिला कलक्टर बून्दी के की हो और उसमें मुझे भी अदालत में बुलवाया हो। मुझे यह पता नही कि उस अपील में मेरी बहिन कान्ही भी आई हो। उस अपील पर एडीएम बून्दी ने हमारे नाम के स्थान हमारे पिता के हिस्से की जमीन खाना के हिस्से में दर्ज करने के आदेश दिये हो। उक्त जमीन पर हमारे नाम अंकन आदेश की वजह से खाते में नही हो मुझे पता नही है। यह कहना गलत है कि मेने जिन जमीनो का न्यायालय में दावा किया है वह नाथू पुत्र गोपी , रूगनाथ , जगन्नाथ तीनो के संयुक्त खाते की हो मेने तो यह दावा मेरे पिता के अलग खाते की जमीन का किया है।

प्रतिवादीगण की ओर से नाथू आ0 गोपीलाल ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर संलग्न दस्तावेज नामान्तकरण प्रदर्श ए-1 पेश किया। दौराने जिरह अंकित किया कि जगन्नाथ, रूगनाथ एवं गोपीलाल सगे भाई थे। मेने जगन्नाथ को देख है जगन्नाथ भरे तब मेरी उम्र 25 वर्ष थी। तीनो भाईयो में से सबसे पहले गोपीलाल मरे, उसके बाद रूगनाथ जी मरे व उसके बाद जगन्नाथ जी मरे। तीनो भाईयो के रहने के मकान अलग-अलग थे, खेती भी अलग-अलग करते थे। जगन्नाथ जी की एक पुत्री गुलाब जगन्नाथ जी के जीवनकाल मे ही मर गई थी। पांची व खानी ने एडीएम सा. की अदालत में हमारे हक में जमीन का अपना हिस्सा त्याग करने बाबत लिखा वह दस्तावेज हमको नही मिला मिल जाएगी तो पेश कर देंगे। प्रतिवादीगण की ओर से छोटूलाल, रामदेव एवं कन्हैयालाल के बयान लेखबद्व करवाये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। वकील वादी ने वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत जमाबन्दी भू0 प्रबंध विभाग खतोनी सं0 231 संवत् 2028-47 में नाथू लाल वल्द गोपीलाल, जगन्नाथ, रूगनाथ पि0 चन्दा मीणा दर्ज रिकार्ड है। जगन्नाथ जी के पुत्र नही होने से रूगनाथ ने जगन्नाथ की सम्पूर्ण भूमि अपने नाम दर्ज रिकार्ड करवा ली जो कि अतिरिक्त जिलाधीश बून्दी के आदेश दिनांक 14.12.78 के आधार पर होना बताया है। किन्तु ऐसा कोई आदेश प्रतिवादी ने प्रस्तुत नही किया है जिससे उक्त आदेश की प्रमाणिकता सिद्व हो सके। वादिनी को उक्त आदेश के माध्यम से दर्ज राजस्व रिकार्ड की जानकारी होने पर वादिनी ने जिला कलेक्टर बून्दी को जर्ये नोटिस अवगत करवाया जिसकी प्रति वाद में प्रदर्श-5,6,7 संलग्न है। वास्तव में प्रतिवादी जिस आदेश दिनांक 14.12.78 का हवाला दे रहे है ऐसा कोई प्रकरण/आदेश न्यायालय द्वारा पारित हुआ ही नही है। यह प्रतिवादी 1 लगायत 3 ने अपने अभिकथन में अंकित किया कि वादीनी व प्रतिवादी 3 ने अति0 जिलाधीश महो. बून्दी के यहॉ शिकायत की है। अतः वादिनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वर्णित आराजी में वादिनी का निहित 1/6 हिस्सा वादिनी के खाते दर्ज रिकार्ड किया जावे।

वकील प्रतिवादी ने दोराने बहस निवेदन किया कि वादिनी ने यह वाद वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुये पेश किया है। वादिनी को सन् 1978 में दर्ज उक्त नामान्तकरण सं0 234 के बारे में पूर्ण जानकारी थी। किन्तु वादिनी के मन में बदनियती आ जाने से वादिनी ने 27 वर्ष पश्चात यह दावा पेश किया है। यदि वादिनी को नामान्तकरण संख्या 234 से कोई आपत्ति थी तो वह अतिरिक्त जिलाधीश महोदय बून्दी

आदेश के विरूद्ध अपील में जाती। किन्तु वादिनी ने उक्त वाद पेश किया है जो चलने योग्य नही है। नामान्तकरण संख्या 234 के पुष्ट पर स्पष्ट अंकित है कि मौके पर लडकिया काबिज नही है। अधिकार घोषणा के दावे का मूल आधार कब्जा है जबकि वादिनी 1978 से ही खातेदार नही है तो वादिनी का वाद वर्णित आराजी पर कब्जे का तो प्रश्न ही नही है। सेक्शन 63(4) के अनुसार 12 वर्ष से अधिक का कब्जा होने पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी प्रतिवादी वाद वर्णित आराजी के खातेदार बन चुके है। वाद वर्णित आराजी के खातेदार अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने से उन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के नियम लागू नही होते है। मीणा जाति में पुत्रियों का हक अधिकार नही होने से जगन्नाथ जी की भूमि रूगनाथ जी के खाते दर्ज रिकार्ड हुयी। अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2013 DNJ(REV.) 185, 1989 RRD 526(d), 2012 RRD 96 , 2003 RRD 223, 2008(2) RLW 1025(RAJ.), 2006(2) DNJ (S.C.) 351, 2019(3) RLW 2255 S.C., 2019 (2) DNJ S.C. 927 (See PARA 46,48,,58,59,61) , 2014 (3) DNJ RAJ. 1050, 1985 RRD 304 पेश किये।

वाद पत्र में कायम तनकीयात का बिन्दू वार विवेचन किया गया जो निम्नानुसार है–

1. **आया वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित विवादित कृषि भूमि की वादिनी 1/6 हिस्से की खातेदारी घोषणा करने की अधिकारी है।**

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में अंकित तथ्यों के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र एवं दस्तावेज प्रदर्श 1 लगायत 7 पेश किये गये। दस्तावेज प्रदर्श–4 नकल जमाबन्दी भू0 प्रबंध विभाग खाता सं0 231 सवंत् 2028–47 , प्रदर्श–3 नकल जमाबन्दी खाता सं0 45 संवत् 2060–63, प्रदर्श–2 नकल जमाबन्दी खाता सं0 207 संवत् 2056–59 वाके ग्राम तीरथ का अवलोकन करने से यह प्रमाणित है कि जगन्नाथ व रूगनाथ के पिता चन्दा जी थे एवं प्रदर्श–2 का अवलोकन करने पर खानी, गुलाब व पांची जगन्नाथ के विधिक वारिस होने से नकल जमाबन्दी खाता सं0 207 में दर्ज रिकार्ड हुये जो यह प्रमाणित करता है कि खानी, जगन्नाथ की पुत्री है। वाद वर्णित आराजी में जगन्नाथ का हिस्सा निहित होना प्रमाणित है ऐसी स्थिती में खातेदार जगन्नाथ के विधिक वारिसान होने से जगन्नाथ के हिस्से में आने वाली भूमि का हक एवं अधिकार जगन्नाथ के वारिसों को है। जगन्नाथ की एक पुत्री गुलाब का देहान्त हो जाने एवं गुलाब का कोई वारिस नही होने से वाद वर्णित आराजी में जगन्नाथ की शेष 2 पुत्रीयों पांची बाई एवं खानी बाई का 1/3 हिस्सा एवं केवल पांची बाई का 1/6 हिस्सा निहित होना प्रमाणित करता है। प्रतिवादी द्वारा उक्त के सम्बन्ध में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया जो यह प्रमाणित करे कि वादिनी का जगन्नाथ जी की खातेदारी भूमि पर कोई हक अधिकार नही है। अतः वाद वर्णित आराजी में जगन्नाथ के हिस्से की भूमि में जगन्नाथ के वारिसान को खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकार होने से वादिनी पांची बाई 1/6 हिस्से की खातेदारी घोषणा करवाने की अधिकारी है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादी के पक्ष में प्रमाणित होती है।

2. **आया वाद पत्र की चरण सं0 4 में अंकित प्रविष्टियॉ वादिनी की जानकारी के बिना एवं किसी भी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना की गई है जो वादिनी के विरूद्ध शुन्य प्रभावी है।**

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार वादी पर था। वादिनी द्वारा वाद वर्णित आराजी में जगन्नाथ की भूमि पर अपना खातेदारी अधिकार प्रमाणित करने हेतु प्रस्तुत दस्तावेज से यह प्रमाणित है कि वादिनी जगन्नाथ की पुत्री है। नामान्तकरण दर्ज होने के दोरान जगन्नाथ के विधिक वारिसों का नाम किस आधार पर विलोपित किया इस बाबत प्रतिवादी की और से ऐसा कोई प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जो यह प्रमाणित करे कि जगन्नाथ का नाम वाद वर्णित आराजी में जगन्नाथ के वारिसों की सहमति से विलोपित हुआ हो। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज नामान्तकरण सं0 234 के पुष्ठ पर अंकित नोट में वर्णित आदेश बाबत भी कोई दस्तावेज प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत करने में असफल रहा है। वादिनी द्वारा वाद वर्णित आराजी में अपना हक अधिकार हस्तान्तरित किया हो ऐसा कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही हुआ है। जिससे वाद वर्णित आराजी पर वादिनी का हक एवं अधिकार यथावत है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादी के पक्ष में प्रमाणित की जाती है।

3. **आया वादिनी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में शामिल नही होने से विवादित भूमि में उनका कोई हक व अधिकार नही है।**

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब दावा के समर्थन में निवेदन किया कि वाद वर्णित आराजी में वर्ष 1978 से पांची एवं रूगनाथ जी की अन्य लडकिया खातेदार नही है क्योंकि पक्षकार अनुसूचित जनजाति वर्ग से होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम पक्षकारान् पर लागू नही होता है। किन्तु जगन्नाथ जी के कोई पुत्र नही होने

से प्रथम दृष्टया वाद वर्णित आराजी पर जगन्नाथ जी के विधिक वारिस पांची बाई व खानी बाई का हक है यदि जगन्नाथ के पुत्र होता तो अनुसूचित जनजाति में प्रचलित प्रथा अनुसार जगन्नाथ के पुत्र के नाम उक्त आराजी दर्ज रिकार्ड होती। दर्ज नामान्तकरण सं. 234 में भी जगन्नाथ जी की पुत्रियो का नाम अंकित नही करने बाबत हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम का कोई हवाला नही देकर केवल जगन्नाथ जी की पुत्रियो का कब्जा नही होने से जगन्नाथ के खातेदारी अधिकार की भूमि को रुगनाथ के खाते दर्ज की गई। अतः यह तनकी आंशिक रूप से प्रतिवादी के पक्ष में प्रमाणित है।

4. **आया नामान्तकरण सं0 234 दिनांक 14.12.1978 जिस निर्णय के अनुसार खातेदार दर्ज हुआ है का वाद पर क्या असर है।**

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण के संबंध में यह निवेदन किया कि नामान्तकरण संख्या 234 दिनांक 14.12.1975 की पृष्ट पर अंकित है कि आदेश अतिरिक्त जिलाधीश दिनांक 14.12.1978 के प्राप्त होने पर पुनः रिवाईज किया गया। मुताबिक आदेश चूंकि मौके पर लडकिया काबिज नही है व लडकियों के लिखावट तस्दीकशुदा पंचायत तीरथ दिनांक 04.12.78 के अनुसार उक्त दोनो लडकिया पांची बाई व खानी बाई अपने पिता की जायदाद में हिस्सा नही लेना चाहती है तथा कान्हा वल्द जगन्नाथ को अपने पिता का उत्तराधिकारी बनाना चाहते है के आधार पर नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। किन्तु अतिरिक्त जिलाधीश बून्दी द्वारा पारित आदेश की प्रति प्रतिवादीगण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहे, ना ही यह प्रमाणित करने में सफल रहे कि जगन्नाथ जी की पुत्रिया वाद वर्णित आराजी को नही लेना चाहती। ऐसी स्थिती में उक्त नामान्तकरण का वादिनी के खातेदारी अधिकारो पर प्रभाव शून्य है। यह तनकी प्रतिवादी के विरुद्ध वादी के पक्ष में प्रमाणित की जाती है।

5. **आया प्रतिवादी 1 व 2 सन् 1978 से विवादित कृषि भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त चले आने से कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार बन चुके है।**

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब के समर्थन में नाथू आ0 गोपीलाल, छोटूलाल आ0 धन्नालाल, रामदेव आ0 रामजी एवं कन्हैयालाल आ0 छगनलाल के शपथ पत्र पेश किये गये। जिनमें वाद वर्णित आराजी पर पांची बाई का कब्जा काश्त नही होना अंकित किया गया है किन्तु ऐसा कोई प्रमाणित दस्तावेज जो यह प्रमाणित करे कि वाद वर्णित आराजी पर पांची बाई का कब्जा नही रहा है प्रस्तुत नही किया गया है। वाद वर्णित आराजी में वादिनी पांची बाई के पिता जगन्नाथ का हिस्सा होने से सहखातेदारो के मध्य कब्जा मुखालफाना के आधार पर सहखातेदार के खातेदारी अधिकार को शुन्य नही माना जा सकता। अतः यह तनकी प्रतिवादी के विरुद्ध वादी के पक्ष में प्रमाणित की जाती है।

6. अनुतोष – वाद पत्र , जवाब वाद पत्र में अंकित तथ्यों, साक्ष्य एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने , न्यायिक दृष्टान्तो का ससम्मान अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि वाद पत्र में वर्णित तनकियॉ प्रतिवादी के विरुद्ध वादी के पक्ष में प्रमाणित है, प्रतिवादी का यह कथन की वादिनी के जानकारी में नामान्तकरण सं0 234 तस्दीक किया गया है को प्रमाणित करने में असफल रहे है। यहॉ यह भी गौरणीय बिन्दू है कि नामान्तकरण की पुष्ट पर अंकित तथ्य कि जगन्नाथ की पुत्रीयों का कब्जा नही होने से जगन्नाथ के हिस्से की भूमि जगन्नाथ के वारिसों की सहमति से रुगनाथ में खाते दर्ज हुयी जबकि वादी के वाद पत्र के कथन एवं बहस के अभिवचन में यह कहा गया है कि पक्षकार अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के कारण उन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होने से जगन्नाथ की पुत्रियों का नाम दर्ज रिकार्ड नही कर जगन्नाथ का हिस्सा रुगनाथ के दर्ज किया गया। उक्त तथ्यों की प्रमाणिकता प्रस्तुत दस्तावेज एवं अभिकथनों के आधार पर प्रमाणित नही है। वादिनी वाद वर्णित आराजी पर अपने पिता के खातेदारी अधिकारों को प्रमाणित करने में सफल रही है। नामान्तकरण सं0 234 द्वारा हस्तान्तरित खातेदारी अधिकार का आधार प्रमाणित नही होने से किसी भी खातेदार के अधिकारों को विधिक प्रमाणिकता के अभाव में हस्तान्तरित नही किया जा सकता, ना ही सहखातेदारों के मध्य कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकारों को हस्तान्तरित किया जा सकता है।

आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाद डिक्री किया जाकर जमाबंदी सम्वत् 2028 से 2047 की खतोनी संख्या 231/235 में नाथूलाल वल्द गोपीलाल, जगन्नाथ, रुगनाथ पिसरान चन्दा जाति मीणा साकिन देह खातेदार कृषि भूमि खंसरा सं0 36 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा, 172 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, 203 रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा, 271 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, 272 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, 273 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा, 285 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा, 320 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा,

रकबा 2 बीघा, 851 रकबा 3 बिस्वा, 932 रकबा 16 बिस्वा, 933 रकबा 12 बिस्वा, 948 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा, 949 रकबा 7 बिस्वा एवं 1001 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा किता 15 कुल रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम तीरथ में जगन्नाथ के हिस्से पर जगन्नाथ के विधिक वारिसान पांची बाई व खानी बाई को खातेदार घोषित किया जाकर पांची बाई का हिस्सा 1/6 नियत किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 22.01.2026 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा